



जालौन पुलिस



Meticulous **Investigation & Prosecution**

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

कोतवाली उरई क्षेत्रान्तर्गत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करते हुये पकड़े जाने पर अभियुक्त जितेन्द्र कुमार पुत्र रामराज नामदेव निवासी ग्राम गोकुलपार थाना एरच जनपद झांसी के विरुद्ध कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 2645/2013 (वाद संख्या - 18/2014) धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 01.07.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी/एनडीपीएस कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त जितेन्द्र कुमार उपरोक्त को दोषी पाते हुये 02 माह 27 दिन का कारावास एवं 1,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।